

# फर्द अहकाम



(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

खुशीद वगै. बनाम ग्राम पंचायत भण्डवाडा वगै.

स मुकदमा प्रा० पत्र 212 रा०का०अधि० ..... नं० 2/83/13.09.2021 सन् .....

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.2021	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 30.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.36 है, 1295 रकबा 0.82 है. हैक्टियर वाकेग्राम विजोपुर तहसील अलवर को रहन, बय ना करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो, कि क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा Absolute कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो दिनांक 30.09.2021 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)</p> <p>३०/९/२१ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी अलवर (राज०)</p>	

21.2.22

मुलाप 34. / का ले जकर / कल फी.पत्र  
दिनांक 21.4.22 को पेश हो वक नम. 1. की  
अवधि कट गई जाती है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
अलवर (सम्बन्ध)

21.4  
22

मुलाप 39. / का ले जकर / कल क  
दि. 21.4.22 को पेश हो वक नम. 1. की  
अवधि कट गई जाती है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
अलवर

21.4.22 पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उपर।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक..... 9.6.22  
को पेश हो।

**सीडर**

9.6.22

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उपर।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक..... 17.6.22  
को पेश हो।

**सीडर**

17.6.22

पत्रावली पेश। मुलाप 39. / अपील अपील  
सीडर हो चुकी है। अतः प्रा. क. में अपील  
कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। प्रा. क.  
केसल सीडर नम. 1 से नम. 1 की अवधि  
में अपील हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
अलवर